न्यायालय-ए०के०गप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 847/06

संस्थित दिनाँक-02.08.06

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—गोहद चौराहा जिला—भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरूद्ध

वीरेन्द्र पुत्र तख्तसिंह रावत 36 साल निवासी ग्राम गोराघाट जिला दतिया म०प्र0

.....अभियुक्त

__:: निर्णय ::— [आज दिनांक 19.07.2017 को घोषित]

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337, 338 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 21.05.06 को 4 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड जैतपुरा के पास डम्फर क्रमांक एम0पी0—07 जी 6117 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से तेजी व लापरवाही से चलाकर भगवत, शकूर खां, नेमिसंह, अरविंद, लालिसंह का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, भगवत, शकूर खां, नेमिसंह, अरविंद, लालिसंह को टक्कर मारकर साधारण उहपित कारित की तथा भागवतिसंह, नेमिसंह, अरविंद को टक्कर मारकर गंभीर उपहित कारित की।

- 3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 21.05.06 को रात्रि के समय फरियादी लालिसंह अपने लड़के अरिवंद, गफूर व अन्य व्यक्ति के साथ डम्फर क्रमांक एम0पी0—07 जी 6117 में बैठकर आ रहे थे। भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर जैतपुरा के पास उक्त डंफर के चालक द्वारा उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर जैतपुरा के आगे जा रहे एक डंफर में टक्कर मार दी जिससे आहतगण लालिसंह, अरिवंद, नेमिसंह, गफूर खां तथा भगवत को चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क0—88/06 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। एक्स—रे परीक्षण कराया गया। वाहन जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। मेकैनिकल जांच कराई गई। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।
- 4. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द0प्र0सं0 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने स्वयं के निर्दोष होने तथा झूंठा फंसाए जाने का कथन किया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1.क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.05.06 को 4 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड जैतपुरा के पास डम्फर कमांक एम0पी0—07 जी 6117 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से तेजी व लापरवाही से चलाकर भगवत, शकूर खां, नेमसिंह, अरविंद, लालिसेंह का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2.क्या उक्त दिनांक व समय पर भगवत, शकूर खां, नेमसिंह, अरविंद, लालसिंह को कोई चोट मौजूद थी, यदि हॉ तो उनकी प्रकृति ?

3—क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर आहतगण को उक्त चोटें कारित की ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में नेमसिंह अ०सा० 1, अरविंद कुमार अ०सा० 2, नवलिकशोर अ०सा० 3, श्रीकृष्ण अ०सा० 4, दिनेश खत्री अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई।

<u>//विचारणीय प्रश्न कमांक 2//</u>

- 7. आहत नेमिसंह अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना दिनांक 21.05.06 की है वे लालिसंह, अरविंदिसंह, अनुपम के साथ डंफर में बैठकर जा रहे थे जिसका नंबर एम०पी०-07 जी 6117 था उसमें एक सवारी और दो अन्य लोग बैठे थे। उक्त डंफर भिण्ड ग्वालियर रोड पर जैतपुरा के पास पहुंचा तो एक डंफर रोड पर खडा था, आहत जिस डंफर में बैठा था उसके चालक ने खडे डंफर में टक्कर मार दी जिससे उसका बांया पैर टूट गया, अरविंद को भी पैर में फैक्चर होना बताता है, लालिसंह को भी चोट आने का कथन करता है। साक्षी गोहद अस्पताल में इलाज होना बताता है। आहत अरविंद अ०सा० 2 भी अपने अभिसाक्ष्य में नेमिसंह अ०सा० 1 के कथन का समर्थन करते हुए डम्फर कमांक एम०पी०-07 जी 6117 में बैठकर जाने की बात बताते हैं और डंफर के चालक द्वारा एक्सीडेंट कर दिए जाने से उसको, नेमिसंह, लालिसंह व अन्य व्यक्ति को चोट आने का कथन करते हैं, स्वयं को दोनों पैर में चोट आना बताते हैं और गोहद में इलाज संबंधी कथन करते हैं।
- 8. प्रकरण में फरियादी लालसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके संबंध में नेमसिंह अ०सा० 1 भी कथन करते हैं कि उनकी मृत्यु हो गयी है। अरविंद अ०सा० 2 भी घटना के 3-4 महीने बाद लालसिंह की मृत्यु होने का कथन करते हैं, इस कारण से फरियादी लालसिंह को परीक्षित नहीं कराया जा सका। जबकि अन्य आहत भगवतसिंह एवं शकूर खां को कई बार आहूत करने के बावजूद अभियोजन द्वारा उन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया जा सका और साक्षीगण अदम पता घोषित किए जाने के उपरांत भी साक्षीगण का कोई नया पता अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करने में अस्मर्थ रहा इस कारण से उक्त साक्षीगण को परीक्षित नहीं कराया जा सका।

प्रकरण में चिकित्सक दिनेश खत्री अ०सा० 8 के रूप में परीक्षित कराए गए जो दिनांक 21. 05.06 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हुए आहत भगवत, शकूर खां, अरविंद, लालसिंह, नेमसिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया जाना बताते हैं। आहतगण को चोटें पाए जाने के संबंध में कथन करते हैं और आहतगण भगवत, नेमसिंह, अरविंद का एक्सरे परीक्षण किए जाने पर उन्हें अस्थिभंग पाए जाने का कथन करते हैं। चूंकि प्रकरण में नेमसिंह अ०सा० 1 व अरविंद अ०सा० 2 के रूप में परीक्षित किए गए ऐसे में शेष आहतगण के संबंध में साक्षी के कथन संपुष्टकारी साक्ष्य की श्रेणी में होने से उक्त आहतगण भगवत, लालसिंह व शकूर खां के संबंध में विश्लेषित किए जाने की आवश्यकता नहीं हैं। आहत नेमसिंह व अरविंद को परीक्षण करने पर चिकित्सक द्वारा अस्थिभंग पाए जाने के संबंध में परीक्षण रिपोर्ट क्रमशः प्र0पी० 8 व 10 तथा एक्सरे रिपोर्ट कमशः प्र0पी० ९ व 11 के रूप में बताकर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण प्र०पी० ८ व १० के अनुसार दिनांक २१.०५.०६ को सुबह 6 व 6:15 बजे किया जाना लेख है और चिकित्सक ने आहतगण को पाई गयी चोटें परीक्षण अवधि से 6 घण्टे के भीतर पाए जाने के संबंध में अपनी राय दी है। प्र0पी0 8 लगायत 11 की रिपोर्ट धारा 35 साक्ष्य विधान के अधीन सुसंगत होकर चिकित्सक द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित करने से अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार न होने से विश्वसनीय हैं। साथ ही प्रकरण में आहतगण को कारित चोटों के संबंध में कोई चुनौती भी नहीं दी गयी है ऐसी दशा में यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 21.05.06 को करीब सुबह 4 बजे आहत नेमसिंह व अरविंद को शरीर पर चोटें मीजूद थी जिनमें अस्थिमंग भी मीजूद था।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 3 का निष्कर्ष//

10. प्रकरण में प्राथमिकी लेखक नवलिकशोर अ०सा० 3 आहत नेमसिंह व अरविंद के कथनों की संपुष्टि करते हुए यह बताते हैं कि दिनांक 21.05.06 को फरियादी लालसिह की रिपोर्ट से अप०क० 88/06 पर डम्फर कमांक एम०पी०—07 जी 6117 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी जो प्र०पी० 1 है जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि डंफर को कौन चला रहा था इसकी उन्हें जानकारी नहीं हैं। यह साक्षी फरियादी लालसिंह द्वारा डंफर चालक के संबंध में कौन व्यक्ति चला रहा था इसकी जानकारी नहीं होना बताते हैं। प्र०पी० 1 में वाहन चालक के रूप में अभियुक्त का नाम लेख नहीं हैं। नेमसिंह अ०सा० 1 अपने मुख्य परीक्षण में कथित डंफर के चालक के संबंध में जानकारी का अभाव बताते हैं किन्तु सूचक प्रश्न में यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पुलिस को डंफर का चालक वीरेन्द्रसिंह होना बताया था किन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में बताते हैं कि डंफर के चालक का नाम घायल कण्डेक्टर ने बताया था वह पहले से चालक को नहीं जानते थे और न हीं सामने आने पर पहचान

सकते हैं। आहत अरविंद अ0सा0 2 मुख्य परीक्षण में यह बताता है कि डंफर को वीरेन्द्रसिंह चला रहा था। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में बताता है कि डंफर का हैल्पर चालक को वीरेन्द्र भैया के नाम से बुला रहा था इस कारण वह चालक का नाम जानता है किन्तु घटना के समय उम्र में काफी छोटा होने से चालक को पहचानने में अस्मर्थता प्रकट करता है।

- 11. इस प्रकार से प्रकरण में अभियुक्त के कथित डम्फर कमांक एम0पी0-07 जी 6117 के चालक होने के संबंध में साक्षी नेमिसंह अ0सा0 1 व अरिवंद अ0सा0 2 की साक्ष्य अपुष्ट तथ्यों पर आधारित है। उक्त दोनों साक्षियों के द्वारा कथित डंफर के चालक का नाम वीरेन्द्रसिंह होने के संबंध में क्लीनर के द्वारा पता चलना बताया गया है जबिक क्लीनर को अभियोजन पक्ष परीक्षित कराने में असफल रहा है। उक्त दोनों ही साक्षीगण अपने अभिसाक्ष्य में वाहन चालक को पहचानने के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर पहचानने में अस्मर्थता बताते हैं। प्र0पी0 1 की प्राथमिकी में भी अभियुक्त का नाम उक्त डम्फर कमांक एम0पी0-07 जी 6117 के चालक के रूप में लेख नहीं कराया गया है।
- 12. प्रकरण में विवेचक श्रीकृष्णसिंह अ०सा० 4 हैं जो दिनांक 21.05.06 को अभियुक्त के आधिपत्य से डंफर जब्तकर जब्ती पंचनामा प्रपी० 4 बनाए जाने का कथन करते हैं वे प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने डंफर को घटनास्थल पर जब्त नहीं किया और घटनास्थल पर कोई डंफर नहीं खड़ा था। प्र०पी० 4 की जब्ती पंचनामा के अनुसार जो जब्ती दर्शाई गयी है वह थाने पर अभियुक्त वीरेन्द्रसिंह द्वारा डंफर प्रस्तुत करने पर जब्त करना दर्शाया गया है। घटना दि० 21.05. 06 की सुबह 4 बजे की बताई है जबिक प्रपी० 4 के जब्ती पत्रक अनुसार जब्ती की कार्यवाही रात 9 बजे अर्थात लगभग 17 घण्टे पश्चात् घटनास्थल से भिन्न स्थान थाने पर स्वयं अभियुक्त द्वारा डम्फर कमांक एम०पी०–07 जी 6117 प्रस्तुत किए जाने पर बताई गयी है। ऐसे में अभियोजन की साक्ष्य में अभियुक्त के द्वारा अनुसंधानकर्ता के समक्ष डम्फर कमांक एम०पी०–07 जी 6117 को थाने पर लाकर प्रस्तुत किए जाने के अतिरिक्त ऐसी कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं हैं जो कि यह प्रमाणित करती हो कि घटना दिनांक 21.05.06 को सुबह 4 बजे अभियुक्त ही उक्त डंफर को चला रहा था। मात्र अभियुक्त के आधिपत्य से जब्ती के आधार पर उसे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है।
- 13. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत वर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। ''सत्य हो सकता है'' और ''सत्य होना चाहिए'' के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति—युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। उपरोक्त विवेचन

के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 21.05.06 को 4 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड जैतपुरा के पास डम्फर कमांक एम0पी0—07 जी 6117 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से तेजी व लापरवाही से चलाकर भगवत, शकूर खां, नेमसिंह, अरविंद, लालसिंह का मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, भगवत, शकूर खां, नेमसिंह, अरविंद, लालसिंह को टक्कर मारकर साधारण उहपति कारित की तथा भागवतसिंह, नेमसिंह, अरविंद को टक्कर मारकर गंभीर उपहित कारित की। अभियुक्त संदेह के आधार पर दोषमुक्ति का पात्र हैं। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337, 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 14. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती है, उनके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावशील रहेंगे।
- 15. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन कमांक डम्फर कमांक एम०पी०—07 जी 6117 पूर्व से पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया ।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, रि गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / – ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश